

उत्तर प्रदेश मंत्रपरिषद के महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

10 नवंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रपरिषद की बैठक में 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना' के क्रयान्वयन संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन के साथ ही कई महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए ।

प्रमुख बढि

- बैठक में मंत्रपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना' के क्रयान्वयन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदति कर दया ।
 - इस योजना के प्रभावी क्रयान्वयन के लयि 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी' का गठन कया जाएगा तथा सोसाइटी के अंतर्गत गवर्नरि काउंसलि और सशक्त समति बनाई जाएगी । इस काउंसलि में मुख्यमंत्री अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री उपाध्यक्ष होंगे ।
 - योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि, यानिकी शेष 40 प्रतिशत या उससे कम राशिकी व्यवस्था कार्य से संबंधति वभिगों के बजट प्रावधानों से की जाएगी ।
 - 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी' का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत कराया जाएगा ।
- मंत्रपरिषद ने प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रतकार्ड आयोडाइज्ड नमक 1 कगिरा., दाल/साबुत चना 1 कगिरा., खाद्य तेल 1 लीटर एवं खाद्यान्न के नःशुल्क वतिरण माह दसिंबर, 2021 से मार्च 2022 तक कयि जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदति कया ।
- मंत्रपरिषद ने जनपद मेरठ के पुलसि प्रशिक्षण वदियालय (पी.टी.एस.) की क्षमता दोगुनी कयि जाने हेतु आवासीय भवनों के नरिमाण कार्य की स्वीकृतिसंबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है ।
- मंत्रपरिषद ने उत्तर प्रदेश आयुर्वजिज्ञान वशि्ववदियालय, सैफई, इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशयलिटी हॉस्पिटल के नरिमाण की परयोजना की पुनरीक्षति लागत को स्वीकृतप्रदान कर दी है ।
- मंत्रपरिषद ने वर्ष 1970 में पूर्वी पाकसि्तान से वसिथापति 63 हद्दि बंगाली परिवारों के लयि ग्राम भैंसाया, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात में पुनरवास वभिग के नाम उपलब्ध 121.41 हेक्टेयर भूमिपर प्रस्तावति पुनरवासन योजना को स्वीकृतप्रदान कर दी है ।
- मंत्रपरिषद ने भारत सरकार की योजना के अंतर्गत कगि जॉर्ज चकितिसा वशि्ववदियालय (के.जी.एम.यू.), लखनऊ में नवस्थापति स्पोर्ट्स मेडसिनि वभिग के संचालन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है ।
- मंत्रपरिषद ने संकल्प पत्र 2017 में की गई घोषणा के क्रयान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश अधविकता कल्याण नधि न्यासी समति में पंजीकृत अधविकताओं को, पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5,848 अधविकताओं को 1.50 लाख रुपए से 5 लाख रुपए एकमुशत दयि जाने हेतु उत्तर प्रदेश अधविकता कल्याण नधि अधनियम, 1974 की धारा-13 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृतप्रदान कर दी है ।
- वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य वधानमंडल का सत्र अनश्चिति काल के लयि स्थगति होने की स्थति में मंत्रपरिषद ने प्रस्तावति संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से कराए जाने का नरिणय लया है ।